



राजभाषा प्रकोष्ठ
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

ई-मेल: hindicell2015@gmail.com

दूरभाष: 07582(297118)

क्र. रा.भा.प्र./भा.भा.पु.ले./73/ 2102

दिनांक: 10 जनवरी, 2024

॥ अधिसूचना ॥

भारतीय भाषा प्रकोष्ठ का गठन

सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विभिन्न भाषा-भाषी विद्यार्थियों की भाषा-संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन, संबंधित भाषा में पाठ्यसामग्री निर्माण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन में मातृभाषाओं में पुस्तक लेखन/अनुवाद, भारतीय भाषाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा संबंधित भाषा के लिए 'भाषा अभिभावक' की भूमिका के निर्वहन हेतु एतद्वारा 'भारतीय भाषा प्रकोष्ठ' का निम्नानुसार गठन किया जाता है -

1. प्रो. देवाशीष बोस 9425425032	अपराधशास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विभाग	समन्वयक	भाषा अभिभावक - बांग्ला
2. प्रो. वर्षा शर्मा 7224972111	प्राणिशास्त्र विभाग	सह-समन्वयक	भाषा अभिभावक - पंजाबी
3. डॉ. वसीम अनवर 9301316075	उर्दू विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - उर्दू
4. डॉ. महेश्वर पण्डा 8989944138	भौतिकी विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - ओड़िआ
5. डॉ. किरण आर्या 9479983604	संस्कृत विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - संस्कृत
6. डॉ. चिद्दीबाबू 9290585578	जीवन पर्यन्त शिक्षा विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - तेलुगु
7. डॉ. सतीश सी. 9479983728	सामान्य एवं व्यवहारिक भूगोल विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - मलयालम
8. डॉ. महेन्द्र सिम्हा कर्णा 8989713564	अपराधशास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - तमिल
9. डॉ. शालिनी चोइथरानी 8989855884	वाणिज्य विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - सिंधी
10. डॉ. कालीनाथ झा 9981758776	समाजशास्त्र विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - मैथिली
11. श्री रूपेन्द्र जुगल चौरसिया 9727585668	सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ	सदस्य	भाषा अभिभावक - गुजराती

12. प्रो. जी.एल. पुणताम्बेकर 9425425964	वाणिज्य विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - मराठी
13. प्रो. ए.के. सिंह 9412054678	व्यवहारिक भूगर्भशास्त्र	सदस्य	भाषा अभिभावक - मणिपुरी
14. डॉ. संजीव सर्राफ 9425437356	उपपुस्तकालयाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय	सदस्य-सचिव	

आदेशानुसार,

4. (4) Memr
10.01.2024
कुलसचिव (प्र.)

संलग्नक - भारतीय भाषा प्रकोष्ठ के गठन का अवधारणा पत्र

प्रतिलिपि -

1. सर्वसंबंधित समन्यवयक, सह-समन्वयक, सदस्यगण एवं सदस्य-सचिव -- भारतीय भाषा प्रकोष्ठ।
2. कुलपति महोदया के निजी सहायक, माननीया कुलपति महोदया को सूचनार्थ।
3. कुलसचिव महोदय के निजी सहायक, कुलसचिव जी को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ - विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित मिसिल।

10/01/24
हिन्दी अधिकारी (प्र.)

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)



अवधारणा पत्र
(A Concept Note)

भारतीय भाषा प्रकोष्ठ का गठन
(The Formation of Bhartiya Bhasha Cell)



—: राजभाषा प्रकोष्ठ :—
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

अवधारणा पत्र

(A Concept Note)

भारतीय भाषा प्रकोष्ठ

(Bhartiya Bhasha Cell - BBC)

प्रस्तावना :

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020' में मातृभाषा में शिक्षण तथा भारतीय भाषाओं के विकास को पर्याप्त बल दिया गया है। भारतीय भाषाएं प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें इसके लिए इन भाषाओं में उच्च गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बना रहना चाहिए- जिसमें पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, वीडियो, नाटक, कविताएं, उपन्यास, पत्रिकाएं आदि शामिल हैं।

भारतीय भाषाओं के समुचित उन्नयन की रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। भारत की प्रत्येक बोली और भाषा के साहित्य और संस्कृति को संजोकर रखना, उसे आगे बढ़ाना, उसमें पठन-पाठन की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भाषाएं हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती हैं। हमारी भाषाएं भारत की एकता-अखंडता को अक्षुण्ण रखने का एक सशक्त माध्यम हैं। भारतीय भाषाओं के आलोक में उच्चतर शिक्षण संस्थानों में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक संचालन-समिति का भी गठन किया है। हमारे विश्वविद्यालय की माननीया कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता इस समिति की सम्मानित सदस्या हैं।

जैसा कि ज्ञात है भारतीय भाषाओं में शिक्षण हेतु पाठ्यसामग्री एवं उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण वर्तमान में डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय में भी लगभग 25 राज्यों के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल अकादमिक वातावरण उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। विद्यार्थियों की मातृभाषा में पाठ्यसामग्री/पाठ्यसामग्री उपलब्ध हो, उन्हें अपनी भाषा-संस्कृति को संरक्षित-संवर्धित करने का अवसर मिले साथ ही 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के मंत्र पर कार्य करते हुए अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने तथा संस्कृतियों से

परिचित होने के अवसर उपलब्ध हों इसके लिए सामूहिक प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। 'भारतीय भाषा प्रकोष्ठ' का गठन इसी दिशा में एक अभिनव प्रयास है।

माननीया कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय में विभिन्न भारतीय भाषाओं में 12 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं जिनका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर-कमलों से 'राष्ट्रीय शिक्षा समागम' में किया गया। वर्तमान में 13 भारतीय भाषाओं में लगभग 25 पुस्तकों के लेखन का कार्य प्रगति पर है। इन पुस्तकों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराकर लगभग 300 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उद्देश्य :

- विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना
- भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तक लेखन एवं अनुवाद कार्य
- विद्यार्थियों के लिए 'भाषा अभिभावक' नियुक्त करना
- भारतीय भाषाओं के प्रशिक्षण/शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करना
- विश्वविद्यालय में विभिन्न भाषा-भाषी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों का पूल तैयार करना।

भारतीय भाषा प्रकोष्ठ का गठन :

भारतीय भाषा प्रकोष्ठ का गठन निम्नानुसार होगा -

क्र.	शिक्षक/अधिकारी का नाम	विभाग	दायित्व	भाषा
1.	प्रो. देवाशीष बोस 9425425032	अपराधशास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विभाग	समन्वयक	भाषा अभिभावक - बांग्ला
2.	प्रो. वर्षा शर्मा 7224972111	प्राणिशास्त्र विभाग	सह-समन्वयक	भाषा अभिभावक - पंजाबी
3.	डॉ. वसीम अनवर 9301316075	उर्दू विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - उर्दू
4.	डॉ. महेश्वर पण्डा 8989944138	भौतिकी विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - ओड़िआ
5.	डॉ. किरण आर्या 9479983604	संस्कृत विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - संस्कृत
6.	डॉ. चिटीबाबू 9290585578	जीवन पर्यन्त शिक्षा विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - तेलुगु

7.	डॉ. सतीश सी. 9479983728	सामान्य एवं व्यवहारिक भूगोल विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - मलयालम
8.	डॉ. महेन्द्र सिम्हा कर्णा 8989713564	अपराधशास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - तमिल
9.	डॉ. शालिनी चोइथरानी 8989855884	वाणिज्य विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - सिंधी
10.	डॉ. कालीनाथ झा 9981758776	समाजशास्त्र विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - मैथिली
11.	श्री रूपेन्द्र जुगल चौरसिया 9727585668	सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ	सदस्य	भाषा अभिभावक - गुजराती
12.	प्रो. जी.एल. पुणताम्बेकर 9425425964	वाणिज्य विभाग	सदस्य	भाषा अभिभावक - मराठी
13.	प्रो. ए.के. सिंह 9412054678	व्यवहारिक भूगर्भशास्त्र	सदस्य	भाषा अभिभावक - मणिपुरी
14.	डॉ. संजीव सर्राफ 9425437356	उप-पुस्तकालयाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय	सदस्य-सचिव	- - -

नोट- सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से उक्त सूची में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।

समन्वयक : सक्षम प्राधिकारी विश्वविद्यालय के हिन्दीतर भाषा-भाषी वरिष्ठ शिक्षक/अधिकारी को 'भारतीय भाषा प्रकोष्ठ' के समन्वयक के रूप में नामित करेंगे। समन्वयक सक्षम प्राधिकारी के निर्देशन में प्रकोष्ठ के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे तथा समिति के बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। हालांकि प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता माननीया कुलपति महोदया करेंगी तथा समन्वयक सचिव की भूमिका में होंगे। समन्वयक अपनी भाषा के नोडल अधिकारी की भूमिका का भी निर्वहन करेंगे।

सह-समन्वयक : सक्षम प्राधिकारी विश्वविद्यालय के हिन्दीतर भाषा-भाषी प्रोफेसर/एसोशिएट प्रोफेसर को 'भारतीय भाषा प्रकोष्ठ' के सह-समन्वयक के रूप में नामित करेंगे। वे समन्वयक की अनुपस्थिति में उनके समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। सह-समन्वयक अपनी भाषा के नोडल अधिकारी एवं भाषा अभिभावक की भूमिका का भी निर्वहन करेंगे।

सदस्य-सचिव : सक्षम प्राधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों में से किसी एक को 'भारतीय भाषा प्रकोष्ठ' के सदस्य-सचिव के रूप में नामित किया जायेगा। वे प्रकोष्ठ के समन्वयक के निर्देशन में कार्यालय सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा समस्त दैनन्दिन कार्यालयीन कार्यों, पत्राचारों, सूचनाओं, बैठकों के आयोजन एवं अन्य व्यवस्था, फाइल संचालन तथा दस्तावेजों के अनुरक्षण सहित प्रकोष्ठ की निरंतर प्रगति हेतु समस्त कार्यालयीन कार्यों हेतु उत्तरदायी होंगे।

भाषा अभिभावक : भाषा समूहों के नोडल अधिकारी एवं समस्त सदस्यगण संबंधित भाषा के 'भाषा अभिभावक' के रूप में कार्य करेंगे। वे संबंधित भाषा के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अधिकारियों एवं विद्यार्थियों का एक पूल तैयार करेंगे तथा संबंधित विद्यार्थियों के स्थानीय अभिभावक के रूप में उनकी अकादमिक तथा इससे जुड़ी अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों के अभिभावक के रूप में उनके व प्रशासन के मध्य सेतु का कार्य करेंगे। वे संबंधित भाषा-संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समुचित फोरम पर अपने सुझाव रखेंगे।

'भारतीय भाषा प्रकोष्ठ' के प्रमुख कार्य :

'भारतीय भाषा प्रकोष्ठ' मुख्य रूप से निम्नलिखित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा-

क. भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तक लेखन/अनुवाद -

प्रकोष्ठ का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का अनुपालन करते हुए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों का लेखन एवं अनुवाद कार्य सुनिश्चित कराना है। इस कार्य की समीक्षा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेगी। उक्त कार्य के सुचारु क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अधोलिखितानुसार विभिन्न भाषा समूह, भाषा प्रतिनिधि शिक्षक /अधिकारीगण एवं उनके नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं-

क्र.	भारतीय भाषा	भाषा प्रतिनिधि सदस्य शिक्षक/अधिकारीगण एवं भाषा अभिभावक तथा नोडल अधिकारी
1.	उर्दू	1. डॉ. वसीम अनवर, 2. डॉ. अफरोज़ बेगम 3. डॉ. आफरीन खान 4. डॉ. अलीम अहमद खान नोडल अधिकारी : डॉ. वसीम अनवर
2.	बांग्ला	1. प्रो. देवाशीष बोस 2. डॉ. पुष्पल घोष 3. डॉ. कल्पतरु दास 4. डॉ. के.के. डे

		नोडल अधिकारी : प्रो. देवाशीष बोस
3.	पंजाबी	1. प्रो. वर्षा शर्मा 2. प्रो. मानविंदर सिंह पहवा 3. डॉ. नवजोत कौर कंवल 4. डॉ. वंदना विनायक 5. डॉ. मुकेश कुमार कंवर नोडल अधिकारी : प्रो. वर्षा शर्मा
4.	ओड़िआ	1. डॉ. महेश्वर पण्डा 2. डॉ. शिवशंकर जेना 3. डॉ. अनुपमा चंदा नोडल अधिकारी : डॉ. महेश्वर पण्डा
5.	संस्कृत	1. डॉ. किरण आर्या 2. डॉ. संजय कुमार 3. डॉ. नौनिहाल गौतम 4. डॉ. शशिकुमार सिंह 5. डॉ. रामहेत गौतम नोडल अधिकारी : डॉ. किरण आर्या
6.	तेलुगु	1. डॉ. चिट्टीबाबू नोडल अधिकारी : डॉ. चिट्टीबाबू
7.	मलयालम	1. डॉ. सतीश सी. नोडल अधिकारी : डॉ. सतीश सी.
8.	तमिल	1. डॉ. महेन्द्र सिम्हा कर्णा नोडल अधिकारी : डॉ. महेन्द्र सिम्हा कर्णा
9.	सिंधी	1. डॉ. शालिनी चोइथरानी 2. डॉ. प्रीति वाधवानी नोडल अधिकारी : डॉ. शालिनी चोइथरानी
10.	मैथिली	1. डॉ. कालीनाथ झा 2. डॉ. बबलू राँय नोडल अधिकारी : डॉ. कालीनाथ झा
11.	गुजराती	1. श्री रूपेन्द्र जुगल चौरसिया नोडल अधिकारी : श्री रूपेन्द्र जुगल चौरसिया
12.	मराठी	1. प्रो. जी.एल. पुणताम्बेकर 2. प्रो. नवीन कानगो 3. डॉ. आर.टी. बेद्रे 4. प्रो. डी.सी. मेश्राम नोडल अधिकारी : प्रो. जी.एल. पुणताम्बेकर
13.	मणिपुरी	1. प्रो. ए.के. सिंह नोडल अधिकारी : प्रो. ए.के. सिंह

नोट- सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से उक्त सूची में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।

नोडल अधिकारी :

नोडल अधिकारी संबंधित भाषा समूह के समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। वे भारतीय भाषा प्रकोष्ठ के सदस्य तथा संबंधित भाषा के भाषा अभिभावक भी होंगे। वे संबंधित भाषा में लेखन/अनुवाद कार्य के समय पर पूर्ण होना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्य की प्रगति से सक्षम प्राधिकारी को नियमिति रूप से अवगत करायेंगे। वे भाषा समूह में किसी सदस्य को जोड़ने/घटाने हेतु अधिकृत होंगे, हालांकि इसकी सूचना समय पर भारतीय भाषा प्रकोष्ठ के समन्वयक को अवश्य प्रेषित की जानी चाहिए।

ख. भारतीय भाषाओं में शिक्षण/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना -

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बहुभाषी बनाने के लिए भारतीय भाषाओं में शिक्षण, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार कर प्रस्तावित करना एवं उनके पठन-पाठन की व्यवस्था करना तथा उक्त हेतु समय-समय पर संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना ताकि हमारे विद्यार्थी भारत देश में कहीं पर भी कार्य करने हेतु समर्थ एवं सहज बनाया जा सके।

ग. भारतीय भाषा-भाषियों का पूल तैयार करना -

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय परिवार के अन्य सदस्यों का भारतीय भाषाओं के आधार पर एक पूल तैयार करना ताकि विश्वविद्यालय के अकादमिक वातावरण में आवश्यक सुधार हेतु नीतियां निर्धारित की जा सकें तथा विभिन्न भाषा भाषी विद्यार्थियों की आकांक्षाओं के अनुरूप एक स्वस्थ अकादमिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

घ. भारतीय भाषाओं की पारिभाषिक शब्दावलियां विकसित करना -

विभिन्न भाषाओं के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा दैनिक व्यवहार में उपयोग हेतु तथा भारतीय भाषाओं में लेखन, पठन-पाठन एवं अनुवाद कार्य में सहायक सामग्री के रूप में भारतीय भाषाओं की विभिन्न विषयों की पारिभाषिक शब्दावलियां विकसित करना।

ङ. अन्य दायित्वों का निर्वहन -

सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पद प्रदत्त अन्य दायित्वों का निर्वहन करना।

बजटीय प्रबंधन :

भारतीय भाषा प्रकोष्ठ के सुचारु संचालन एवं अन्य गतिविधियों के आयोजन हेतु बजट का प्रबंधन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया जाएगा।

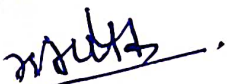
कार्यालय एवं पत्राचार का पता :

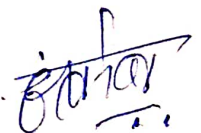
सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से स्थायी कार्यालय उपलब्ध होने तक 'भारतीय भाषा प्रकोष्ठ' के कार्यालय का कामकाज अस्थायी रूप से प्रकोष्ठ के समन्वयक/सदस्य-सचिव के कार्यालय से ही संचालित होगा तदनुसार समस्त पत्राचार हेतु पते का उपयोग किया जायेगा। हालांकि 'भारतीय भाषा प्रकोष्ठ' समुचित डोमेन पर अपना ई-मेल का पता निर्धारित कर सकता है।

उपसंहार :

माननीय कुलपति महोदया की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में 'भारतीय भाषा प्रकोष्ठ' निश्चित रूप से विद्यार्थियों के बीच भारतीय भाषाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हुए सही मायनों में 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नोट : यह अवधारणा पत्र 'भारतीय भाषा प्रकोष्ठ' की संकल्पना को मूर्तरूप देने की दिशा में एक छोटा-सा प्रयास है जिसमें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से समय-समय पर यथावश्यक संशोधन, विलोपन एवं परिवर्धन किया जा सकता है।


(हिन्दी अनुवादक)


(हिन्दी अधिकारी)

(माननीया कुलपति महोदया द्वारा अनुमोदित)